अध्याय-3
पूर्व राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

- वित्तीय हस्तान्तरण संबंधी अनुशंसाओं पर कार्यवाही
- अन्य अनुशंसाओं पर कार्यवाही

3.1 छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 2000 को अविभाजित मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक अलग राज्य बना था। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ लागू थीं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अधिनिर्णय अवधि 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2001 तक की कालावधि के लिये अपनी अनुशंसाएँ दी गई थीं।

3.2 राज्य पुनर्गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ में चार वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। राज्य में दो सदस्यीय प्रथम राज्य वित्त आयोग श्री टी. एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2003 को गठित हुआ था। आयोग के अन्य सदस्य श्री पारस चोपड़ा थे। कुछ समय पश्चात् आयोग का पुर्नगठन किया गया और श्री वीरेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग द्वारा मई 2007 में अपना प्रतिवेदन दिया गया। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक की कालावधि के लिये अनुशंसाएँ दी गईं।

3.3 दो सदस्यीय द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 23 जुलाई 2011 को श्री अजय चन्द्राकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। श्री अशोक पारेख आयोग के सदस्य बनाये गये। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ हाने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिये अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2012 तक उपलब्ध कराना अपेक्षित था, किन्तु आयोग के अनुरोध पर प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को 31 मार्च 2012 तक बढ़ाने तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को 2011–2016 से बदल कर 2012–17 किये जाने के साथ ही आयोग के कार्यकाल में 31 मार्च 2013 तक के लिये वृद्धि की गई। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये अंतरिम प्रतिवेदन नवंबर 2012 में देने के पश्चात् 31 मार्च 2013 को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा गया।

3.4 श्री चन्द्रशेखर साहू की अध्यक्षता में 20 जनवरी 2016 को द्विसदस्यीय, तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। श्री नरेश चन्द्र गुप्ता आयोग के सदस्य बनाये गये। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक की कालावधि के लिये अनुशंसाएँ दिये जाने हेतु आयोग का मूल कार्यकाल 31 जनवरी 2017 तक निर्धारित किया गया था, किन्तु आयोग के कार्यकाल में 30 सितंबर 2018 तक वृद्धि पश्चात् सितंबर 2018 में तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा गया।

3.5 शासन द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ जो कि वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावशील थीं, उन्हें 31 मार्च 2020 तक बढ़ाते हुये तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये स्वीकार किया गया है।

3.6 प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा कुल 91 अनुशंसाएँ दी गईं। इसमें से ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित 74 अनुशंसाएँ शासन द्वारा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई हैं। इनमें 30 अनुशंसाएँ ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा 44 नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। राज्य वित्त से संबंधित 17 अनुशंसाएँ कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित नही हैं। कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित 74 अनुशंसाओं में से 33 अनुशंसाओं को मान्य और 32 अनुशंसाओं को अमान्य किया गया। 6 अनुशंसाएँ संशोधन के साथ तथा 3 अनुशंसाओं पर परीक्षण उपरान्त निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बॉक्स 3.1 छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य वित्त आयोग				
क्र	गठित राज्य वित्त आयोगों का विवरण	गठन तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की तिथि	अधिनिर्णय अवधि
1.	प्रथम	22 अगस्त, 2003	मई 2007	1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 **परिवर्तित अवधि** 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च2012
2.	द्वितीय	23 जुलाई, 2011	**अंतरिम प्रतिवेदन** नवंबर 2012 **अंतिम प्रतिवेदन** 31 मार्च 2013	1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 **परिवर्तित अवधि** 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2020
3.	तृतीय	20 जनवरी, 2016	सितंबर 2018	1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 **परिवर्तित अवधि** 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025
स्रोतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़, प्रतिवेदन				

3.7 द्वितीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिये 55 तथा स्थानीय नगरीय निकायों के लिये 85 अनुशंसाओं को सम्मिलित करते हुये कुल 140 अनुशंसाएँ की गईं। इसमें से 95 को मान्य और 11 को आंशिक संशोधन के साथ मान्य किया गया। 04 अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से चर्चा उपरान्त निर्णय लेने की बात कही गई। शेष 30 अनुशंसाएँ अमान्य की गई। अधिकांश अमान्य अनुशंसाओं को अमान्य किये जाने का औचित्य, कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

3.8 तृतीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा कुल 58 अनुशंसाएँ की गईं। इनमें से 18 अनुशंसाएँ पंचायती राज संस्थाओं तथा 40 अनुशंसाएँ नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित थीं। कुल में से 34 अनुशंसाएँ मान्य तथा 3 अनुशंसाएँ संशोधन के साथ मान्य की गईं। 2 अनुशंसाएं परीक्षण उपरान्त निर्णय लेने तथा 19 अनुशंसाएँ कारण बताते हुये अमान्य की गईं।

तालिका - 3.1
पूर्व आयोगों की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही

क्र.	विवरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	मान्य	33	95	34	162
2.	संशोधन के साथ मान्य	06	11	03	20
3.	परीक्षण उपरान्त अथवा संबंधित विभागों से चर्चा उपरान्त निर्णय	03	04	02	09
4.	अमान्य	32	30	19	81
योग		**74**	**140**	**58**	**272**

स्रोतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त अयोग छत्तीसढ़, प्रतिवेदन

3.9 छततीसगढ़ में अभी तक के तीन राज्य वित्त आयोगों की अधिकांश अनुशंसाओं को मान्य किया गया है। तीनों आयोगों के द्वारा की गई कुल 272 अनुशंसाओं में से 60% अनुशंसाएँ शासन द्वारा मान्य की गई हैं। 7% अनुशंसाएँ आंशिक संशोधन के साथ मान्य की गई हैं। 3% अनुशंसाएँ संबंधित विभागों से चर्चा उपरांत निर्णय लेने के लिए लंबित रखी गयी तथा 30% अनुशंसाएँ शासन द्वारा अमान्य की गई हैं। सबसे अधिक द्वितीय राज्य वित्त आयोग की 68% मूल रूप में तथा 8% आंशिक संशोधनों के साथ कुल 76% अनुशंसाएँ शासन द्वारा मान्य की गई हैं।

चित्र 3.1 मान्य, अमान्य अनुशंसाओं की संख्या एवं प्रतिशत

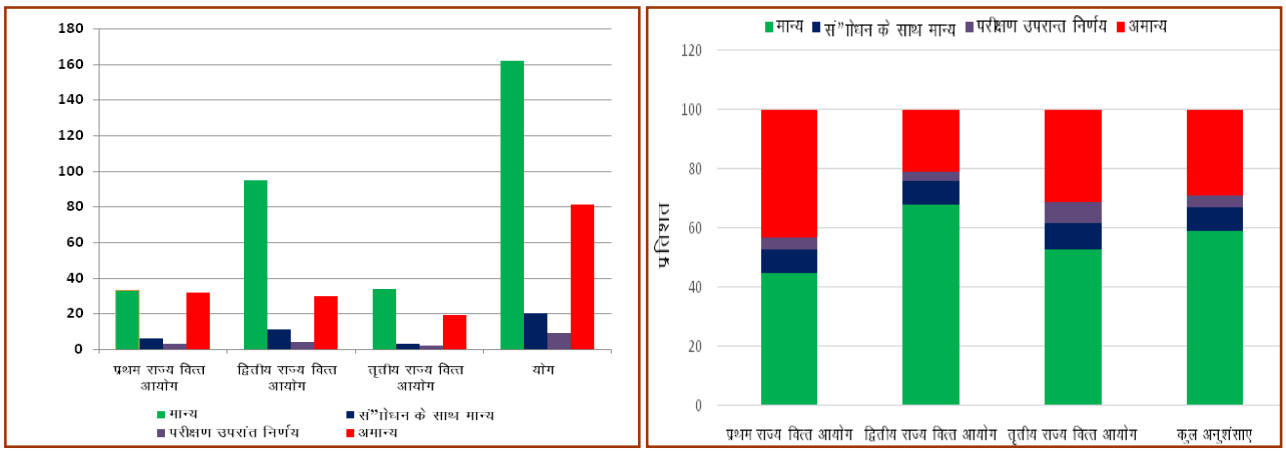

3.10 पूर्व राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही के संदर्भ पूर्व के तीनों आयोगों की वित्तीय हस्तांतरण संबंधी अनुशंसाओं का अध्ययन किया गया है, किन्तु गैर वित्तीय अनुशंसाओं में केवल तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा की गई है।

वित्तीय हस्तान्तरण संबंधी अनुशंसाओं पर कार्यवाही

प्रथम राज्य वित्त आयोग

3.11 प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा, अधिनिर्णय अवधि 2005–06 से 2009–10, के लिये राज्य सरकार के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8.29 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.63 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं 1.66 प्रतिशत हिस्सा नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुये राज्य शासन द्वारा स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना मान्य किया गया। इसके आधार पर निर्धारित राशि का पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में लंबवत वितरण (Vertical Distribution), 2001 की जनसंख्या के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या में उनके पारस्परिक अनुपात के आधार पर किया गया। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा 1.21 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदान किया गया।

तालिका - 3.2
राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज

(स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में)

क्र.	विवरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	पंचायती राज संस्थायें	6.63	6.85	6.91
2.	स्थानीय नगरीय निकाय	1.66	1.15	2.09
	स्थानीय निकाय (कुल)	**8.29**	**8.00**	**9.00**

स्रोतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त अयोग छत्तीसगढ़ प्रतिवेदन

3.12 स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत के अतिरिक्त प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2005–06 से रू. 71.81 करोड़ के स्थापना अनुदान तथा रू. 166.48 का प्रति व्यक्ति अनुदान की अनुशंसा की गई। स्थापना अनुदान को सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया तथा प्रति व्यक्ति अनुदान के लिये कहा कि इसे तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष सहायता के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। आयोग द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये योजना लागत का 3 प्रतिशत अभिकर्ता अनुदान, स्थानीय निकायों को प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। राज्य शासन द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु 3 प्रतिशत अभिकर्ता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु 13वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग

3.13 द्वितीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई। प्रतिवेदन अनुसार अधिनिर्णय अवधि के लिये 8 प्रतिशत अनुशंसित राशि रू. 5793.48 करोड़ होती है। उपरोक्त विभाजनीय पूल में से राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.85 प्रतिशत अर्थात रू. 4453.73 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं तथा 1.15 प्रतिशत, रू. 1399.75 करोड़ नगरीय स्थानीय निकायों को प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। राज्य शासन द्वारा आयोग की राशि के अंतरण की इस अनुशंसा को पूर्णतया स्वीकार किया गया।

3.14 द्वितीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा एक और महत्वपूर्ण वित्तीय अनुशंसा की गई थी कि ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली संपूर्ण राशि प्रकाश व्यवस्था, नलों द्वारा जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्राम पंचायत संपत्तियों के अनुरक्षण के लिये अनाबद्ध रूप से प्रदान की जाये, किन्तु राज्य शासन द्वारा तत्कालीन प्रचलित व्यवस्था को यथावत रखते हुये अनुशंसा को अमान्य कर दिया गया।

तृतीय राज्य वित्त आयोग

3.15 तृतीय राज्य वित्त आयोग की कुल 58 में से मान्य 37 अनुशंसाएँ, जिसमें संशोधन के साथ मान्य अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं, कुल 5 विभागों से संबंधित हैं। इनमें 9 अनुशंसाएँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, 19 अनुशंसाएँ नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा 7 अनुशंसाएँ वित्त विभाग से संबंधित हैं। एक अनुशंसा लोक स्वास्थ्य एवं यंत्रिकी विभाग तथा एक राजस्व विभाग से संबंधित है।

तालिका - 3.3
तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का विभागवार विवरण

क्र.	विषय	मान्य	संशोधन के साथ मान्य	परीक्षण उपरान्त निर्णय	अमान्य	योग
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	7	2	–	7	**16**
2	नगरीय प्रशासन एवं विकास	19	–	2	10	**31**
3	वित्त	6	1	–	2	**9**
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1	–	–	–	**1**
5	राजस्व	1	–	–	–	**1**
योग		**34**	**3**	**2**	**19**	**58**

3.16 तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अधिनिर्णय अवधि 2017–18 से 2021–22 तक प्रति वर्ष राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत स्थानीय निकायों को जिसमें 6.91 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं तथा 2.09 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने की अनुशंसा की गई। इस आधार पर अपनी अनुशंसा में तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अधिनिर्णय अवधि के 5 वर्षों के लिये रू. 11,679.03 करोड के अंतरण का अनुमान लगाया गया है। इस विभाजनीय पूल में से ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली अनुमानित राशि क्रमशः रू. 8966.92 करोड़ एवं रू. 2712.11 करोड़ है। वर्षवार तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुमानित राशि का विवरण तालिका क्र. 3.4 में दिया गया है।

तालिका - 3.4
तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुमानित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	विभाजनीय पूल	पंचायती राज संस्थाएँ	नगरीय स्थानीय निकाय
2017–18	20,610.17	1,854.92	1,424.17	430.75
2018–19	22,906.40	2,061.58	1,582.84	478.74
2019–20	25,609.36	2,304.84	1,769.61	535.23
2020–21	28,631.26	2,576.81	1,978.42	598.39
2021–22	32,009.75	2,880.88	2,211.88	669.00
योग	**1,29,766.94**	**11,679.03**	**8,966.92**	**2,712.11**

स्रोतः तृतीय राज्य वित्त अयोग छत्तीसगढ़ प्रतिवेदन

3.17 तृतीय राज्य वित्त आयोग की मूल अधिनिर्णय अवधि 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिये 31 मार्च, 2023 तक थी, किन्तु 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा कि राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट और केन्द्रीय वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में सामंजस्य हो तथा आयोग द्वारा प्रतिवेदन सितंबर 2018 में प्रस्तुत होने एवं इस पर कार्यवाही अक्टूबर, 2019 में होने के कारण तृतीय राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को 15वें वित्त आयोग के

अधिनिर्णय अवधि के सदृश्य 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की कालावधि के लिये स्वीकार किया गया तथा द्वितीय राज्य वित्त अयोग की मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिये विस्तारित किया गया।

3.18 अन्य मौद्रिक अनुशंसाओं में शासन द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की प्रदेश के समस्त 146 जनपद पंचायतों को रू. 20 लाख का सहायक अनुदान दिये जाने की अनुशंसा को, शासन द्वारा, मान्य किया किया गया है। अनुसूची 5 के अंतर्गत आने वाली 5,050 ग्राम पंचायतों को उनकी मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षों में प्रतिवर्ष रू 5 लाख का सहायता अनुदान देने तथा ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को रू. 05 लाख का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी आयोग की अनुशंसा को इस आधार पर, शासन द्वारा, अमान्य किया गया कि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा को मान्य की गई है इसलिये पृथक से अतिरिक्त राशि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3.19 जिलेवार पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित की जाने वाली राशि के लिये तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा पृथक आधार प्रस्तुत किया गया। अनुशंसित सूत्र में 2011 की जनगणना को 60 प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या को 10 प्रतिशत, सामाजिक आर्थिक एव जाति जनगणना 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक को 10 प्रतिशत और महिला साक्षरता को 5 प्रतिशत का भार दिया गया। अनुशंसित आधार के स्थान पर, शासन द्वारा, तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के लिये द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आधार– जनसंख्या (60 प्रतिशत), भौगोलिक क्षेत्र (20 प्रतिशत), अनुसूचित जाति जनजाति जनसख्या (10 प्रतिशत) तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या (10 प्रतिशत) को लागू रखने का निर्णय लिया गया।

3.20 त्रि–स्तरीय पंचायती राज के विभिन्न स्तरों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा, अनुशंसित राशि की क्रमशः 80 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत राशि, विभाजित किये जाने की अनुशंसा की गई थी। नागरिक सुविधाओं से संबंधित अधिकांश कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है, इसलिये शासन द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत को अनुशंसित राशि का क्रमशः 5, 10 एवं 85 प्रतिशत अंश प्रदान किये जाने की तत्कालीन व्यवस्था को बनाये रखने का निर्णय लिया गया।

3.21 नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा, जनसंख्या (70 प्रतिशत), भौगोलिक क्षेत्रफल (20 प्रतिशत) एवं निष्पादन अनुदान (10 प्रतिशत) के आधार पर अनुशंसित राशि के विभाजन की अनुशंसा की गई किन्तु शासन द्वारा पूर्ववत व्यवस्था जनसंख्या (70 प्रतिशत), भौगोलिक क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), स्लम जनसंख्या (10 प्रतिशत) एवं राजस्व प्रयास (10 प्रतिशत) को बनाये रखने का निर्णय लिया गया।

2017 से 2022 तक देय पात्र एवं वास्तविक अंतरित राशि

3.22 तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ शासन द्वारा वर्ष 2020 से 2025 की कालावधि के लिये मान्य किये जाने के कारण 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक द्वितीय राज्य वित्त आयोग तथा 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2025 तक तृतीय राज्य वित्त अयोग की अनुशंसाएँ लागू रहेंगी।

3.23 द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से क्रमशः 8 एवं 9 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है। वर्ष 2017 से 2020 तक, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.85 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं 1.15 प्रतिशत स्थानीय नगरीय निकायों को अंतरित किया जाना है। इसी प्रकार 2020 से 2022 तक, तृतीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के लिये स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का क्रमशः 6.91 एवं 2.09 प्रतिशत भाग अंतरित किया जाना है।

3.24 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अंतरण हेतु देय पात्र राशि की गणना के लिये सर्वप्रथम राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से करों की संग्रहण लागत (अनुलग्नक–3.1) एवं समनुदेशिक प्राप्तियों के रूप में स्थानीय निकायों को सीधे हस्तान्तरित राशि (अनुलग्नक–3.2) को घटाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (अनुलग्नक–3.3) को प्राप्त किया गया है। तृतीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा 2017–18 से 2021–22 तक 5 वर्षों के लिये राज्य के स्वयं के कर राजस्व रू. 1,47,462.41 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसके विरूद्ध इस अवधि में स्वयं के करों से राजस्व की कुल वास्तविक प्राप्ति रू. 113412.71 करोड़ हुई है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अनुमान से कम होने का मुख्य कारण, कोविड के परिणामस्वरूप, 2019–20 और 2020–21 में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास दर का कम होना है।

3.25 राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से राशि अंतरण हेतु बताये प्रतिशत अनुसार स्थानीय निकायों को 2017–18 से 2021–22 तक देय पात्र राशि रू. 8880.63 करोड़ है। इसमें से 7233.42 करोड़ रू. पंचायती राज संस्थाओं एवं रू. 1,647.21 करोड़ रू. नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा है। वर्षवार स्थानीय निकायों को देय पात्र राशि का विवरण तालिका क्रमांक 3.5 में दिया गया है।

तालिका - 3.5
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अंतरण हेतु देय पात्र राशि

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाएँ	नगरीय स्थानीय निकाय	योग स्थानीय निकाय
2017–18	1,242.45	208.59	1,451.03
2018–19	1,376.56	231.10	1,607.67
2019–20	1,402.06	235.38	1,637.64
2020–21	1,468.42	444.14	1,912.56
2021–22	1,743.93	528.00	2,271.93
योग	**7,233.42**	**1647.21**	**8,880.63**

स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न वर्षों का बजट

3.26 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, स्थानीय निकायों, को स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) में से 2017–18 से 2021–22 के बीच पांच वर्षों में पात्र देय राशि रू. 8880.63 करोड़ के विरूद्ध रू. 5986.55 करोड़ का अंतरण हुआ है। इस प्रकार, पात्र राशि के 67 प्रतिशत राशि का वास्तविक अन्तरण स्थानीय निकायों को हुआ। स्थानीय निकायों में पंचायती राज संस्थाओं की पिछले पांच वर्षों में रू. 7233 करोड़ की पात्रता बनती है। इसमें से 4031.44 करोड़ का वास्तविक अंतरण इन संस्थाओं को हुआ है। इसके विपरीत नगरीय स्थानीय निकायों को इसी कालावधि में रू. 1647.21 करोड के विरूद्ध रू. 1955.11 करोड़ का वास्तविक अंतरण हुआ है। वर्षवार अंतरित राशि का विवरण तालिका क्रमांक 3.6 में दिया गया है।

तालिका - 3.6
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाएँ	नगरीय स्थानीय निकाय	योग स्थानीय निकाय
2017–18	945.72	441.55	1387.27
2018–19	839.07	299.76	1138.83
2019–20	748.47	320.73	1069.20
2020–21	617.93	441.62	1059.54
2021–22	880.26	451.45	1331.71
योग	**4031.44**	**1955.11**	**5986.55**

स्रोतः विभिन्न वर्षों का छत्तीसगढ़ शासन का बजट

3.27 वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक 3 वर्षों में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 8 प्रतिशत के विरूद्ध औसत 6.12 प्रतिशत तथा 2020–21 से 2021–22 तक 2 वर्षों में तृतीय राज्य वित्त अयोग की अनुशंसा अनुसार 9 प्रतिशत के विरूद्ध औसत 5.10 प्रतिशत राशि का वास्तविक अंतरण स्थानीय निकायों को हुआ है। गत पांच वर्षों का औसत देंखें तो राज्य के स्वयं के शुद्ध राजस्व की 5.74 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की गई है। गत पांच वर्षों का वर्षवार राज्य के स्वयं के कर राजस्व से अंतरित राशि का प्रतिशत तालिका क्र. 3.7 में देखा जा सकता है।

तालिका - 3.7
स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि का प्रतिशत

(राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	अनुशंसित प्रतिशत	वास्तविक अंतरण
2017–18	8	7.65
2018–19	8	5.67
2019–20	8	5.22
2020–21	9	4.99
2021–22	9	5.19

अन्य अनुशंसाओं पर कार्यवाही - तृतीय राज्य वित्त आयोग

3.28 सितंबर, 2018 को तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अक्टूबर, 2019 वित्त विभाग द्वारा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report-ATR) प्रस्तुत किया गया। कृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के तीन वर्ष बाद दिसंबर, 2022 की स्थिति में भी विभागों द्वारा मान्य अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति संतोषजनक प्रतीत नही होती है। मान्य अनुशंसाओं के संदर्भ में भी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही में 'प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा' अथवा विचार किया जायेगा' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। जब वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभाग से प्राप्त अभिमत के आधार पर अनुशंसाओं को मान्य अथवा अमान्य किया गया है तो मान्य अनुशंसाओं पर सकारात्मक कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त विभागों के पास कोई विकल्प नही होना चाहिये। तृतीय राज्य वित्त आयोग की मान्य अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण अनुलग्नक 3.4 में दिया गया है।

3.29 प्रथम द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन क्रमशः 26, 4 एवं 13 माह में प्रस्तुत किये गये। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर लगने वाले समय तथा आयोग की मान्य अनुशंसाओं पर संतोषजनक कार्यवाही के अभाव को देखते हुये राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा मान्य अनुशंसाओं पर समय सीमा में कार्यवाही करने तथा मान्य अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है।

3.30 प्रथम एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा इस हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत प्रकोष्ठ के गठन की अनुशंसा की गई थी। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जो 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दिये गये कोष के उपयोग का अनुश्रवण करती है, के द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि का भी अनुश्रवण किया जाये।

3.31 पूर्व आयोगों की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। गठित प्रकोष्ठ के दायित्वों में विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। **आयोग अनुशंसा करता है कि,राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु, वित्त विभाग के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ में वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ करते हुये कृत कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार करने तथा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के नियमित अनुश्रवण का कार्य प्रकोष्ठ के दायित्वों में शामिल किया जाये।**

3.32 राज्य वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों की आर्थिक समीक्षा के लिये जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायतों की संख्या अधिक होने के तथा ग्राम पंचायत सचिवों के पास कंप्यूटर हार्डवेयर की अनुपलब्धता को देखते हुये ग्राम पंचायतों संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप तैयार किया गया। जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होने तथा इनके कप्यूटर्स उपलब्ध होने के कारण जानकारी प्राप्त करने के लिये केवल वेब पोर्टल बनवाया गया। वेब पोर्टल के माध्यम से पूर्व निर्धारित

प्रारूप में ऑनलाईन रियलटाइम रिपोर्ट प्राप्त होती है। पोर्टल और डेटा, चिप्स के डेटा सेन्टर में पृथक सर्वर में सुरक्षित हैं।

3.33 उक्त पोर्टल के माध्यम से यथावश्यक संशोधन के साथ स्थानीय निकायों को केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राशि की निरंतर वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही आर्थिक समीक्षा के लिये राज्य वित्त आयोग को स्थानीय निकायों से जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है वो आंकड़े भी, इस पोर्टल के माध्यम से, प्रति वर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं और भविष्य में जब राज्य वित्त आयोग का गठन होगा तो ये आंकड़े राज्य वित्त आयोग को आसानी से उपलब्ध हो जायेंगे। आगामी राज्य वित्त आयोग, यदि, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो भी पोर्टल में यथावश्यक संशोधन करके प्राप्त कर सकेगी। अतएव, **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि,वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट को आगामी राज्य वित्त आयोग के गठन तक यथोचित तरीके से वर्तमान स्वरूप में सुरक्षित रखे जिससे कि छ.ग. राज्य वित्त आयोग संबंधी जानकारी अन्य राज्य वित्त आयोगों एवं आम शोधार्थियों के लिये आसानी से उपलब्ध रहे। यह कार्य वित्त विभाग में गठित राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ को सौपा जाये।**

3.34 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही के क्रियान्वयन का अनुश्रवण अत्यन्त आवश्यक है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज एवं खनिकर्म तथा वणिज्यिक कर विभाग के सचिवों की समिति गठित की जाये। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित 'राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ' के प्रभारी अधिकारी को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया जाये।**

3.35 तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनेक अनुशंसाओं को, कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में, विभाग के अभिमत के आधार पर मान्य किया गया है, किन्तु संबंधित विभाग द्वारा ATR के क्रियान्वयन के संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को सूचित किया गया है कि "कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा, आगामी कार्यवाही नही की गई है अथवा विचार किया जायेगा अथवा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है" जैसी जानकारी दी गई है। अनुलग्नक 3.4 में प्रतिवेदन कंडिका क्र 11.8, 11.21, 12.21 का अवलोकन किया जा सकता है। विधान सभा में प्रस्तुत कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नही है। **अतएव आयोग अनुशंसा करता है कि विधानसभा की "स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति" अन्य विषयों के साथ 'राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के क्रियान्वयन का भी अनुश्रवण करे।**